

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी- 724/36-टी-46(का0जू) लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में "कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: शासकीय पत्र संख्या 2835/चौदह-4-2016-120/2015, दिनांक 30-12-2016 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संदर्भित पत्र द्वारा शासन ने वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क" योजनान्तर्गत विभागीय तकनीकी अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में समिति द्वारा निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 के आधार पर मूल्यांकित धनराशि रू0 257.70 लाख का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति रू0 100.00 लाख की स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में जारी कर दी है।

2- अतः शासन द्वारा उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख का आवंटन आप के अधीनस्थ निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रूपये में)
<u>अनुदान संख्या-60</u>	
<u>राजस्व लेखा-</u>	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
09-कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क-	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500000
योग- राजस्व लेखा-	500000
<u>पूंजी लेखा-</u>	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
11-कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क-	
24-वृहत निर्माण कार्य	8000000
42-अन्य व्यय	1500000
योग पूंजी लेखा-	9500000
कुल योग:-	10000000

3- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग आपकी पत्र संख्या-1654/7-4(कानपुर जू/तितली पार्क), दिनांक 27.12.2016 द्वारा प्रस्तावित कार्यमर्दों पर ही नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों

के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनोदशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा स्वीकृतियां/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाय।

6- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- परियोजना के अनुमोदन हेतु गठित अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों तथा अनुमोदित कार्यमदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

9- उक्त धनराशियों से कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण, व्यय व नपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र-बी0एम0-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,
(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-724/36-टी-46(का0ज), दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि साख-सीमा की मदों में आवंटित धनराशि की साख-सीमा निदेशक कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर के पक्ष में जारी करने तथा कोषागार मद में आवंटित धनराशि के बजट आवंटन की सूचना सम्बन्धित कोषागार को देने की कृपा करें।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-724/36-टी-46(का0ज), दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।


4. निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर।
5. अभिसूचना सेल, कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, 30प्र0, लखनऊ।
संलग्नक:यथोपरि।


(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-724/36-टी-46(का0जू).दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को
उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1604/02-01-17
36-T-46

02 JAN 2017

सिफ्ट
2
201-2017

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, 30 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, 30प्र0 के पत्र संख्या-पी-707/36-टी-46 (का0जू) दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 एवं उक्त के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, 30प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1654/7-4 (कानपुर जू/तितली पार्क) दिनांक 27.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "कानपुर प्राणि उद्यान कानपुर में तितली पार्क" योजनान्तर्गत विभागीय तकनीकी अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में समिति द्वारा निर्देशक कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 के आधार पर मूल्यांकित धनराशि रू0 257.70 लाख का वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000000.00 (रू0 एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 10000000.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न कार्यमद के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि रू0 में
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
09 कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क-	
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500000
योग -राजस्व लेखा-	500000
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
11- कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क-	
24-वृहत निर्माण कार्य	8000000
42-अन्य व्यय	1500000
योग पूंजी लेखा-	9500000
कुल योग:-	10000000

(रू0 एक करोड़ मात्र)

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियाँ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- 3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
- 4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या पी-707-36/टी-46 (का0जू0) दिनांक 28.12.2016 एवं उक्त के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1654/7-4 (कानपुर जू/तितली पार्क) दिनांक 27.12.2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।
- 7- परियोजना के अनुमोदन हेतु गठित अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों तथा अनुमोदित कार्यमदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2006 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)


संयुक्त सचिव

संख्या-2835(1)/चौदह-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ-एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 8- नियोजन अनुभाग-3
- 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(मो0 जुगीद)
संयुक्त सचिव